UPRN010038712026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.14,(बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट), कानपुर देहात

उपस्थित– पीयूष तिवारी.....(उच्चतर न्यायिक सेवा) UPID–1603

जमानत प्रार्थनापत्र सं. 1507/2026

CNR No–UPRN010038712026

गौरव सिंह उर्फ भानू प्रताप पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम इकघरा , थाना रूरा जिला कानपुर देहात।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ..... अभियोजन।

मुकदमा अपराध सं.–100/2026

अं०धारा–303(2),317(2) भारतीय न्याय संहिता

थाना डेरापुर, कानपुर देहात।

अधिवक्ता अभियुक्त– श्री शिवेन्द्र सिंह गौर (एड०)।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी – श्री अमित सिंह चौहान (सहायक शासकीय अधिवक्ता)

दिनांक 09.07.2026

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त गौरव सिंह उर्फ भानू प्रताप पुत्र महेन्द्र सिंह द्वारा मुकदमा अपराध सं. 100/2026 अं०धारा–303(2),317(2)भारतीय न्याय संहिता थाना डेरापुर, कानपुर देहात के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभियुक्त के पिता/पैरोकार महेन्द्र सिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसका कथन है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

2– संक्षेप में जमानत प्रार्थनापत्र में अभियुक्त पक्ष का कथन है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उसे थाना हाजा की पुलिस द्वारा वादी मुकदमा से मिलकर गलत तरीके से झूठा फंसा दिया गया है। अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की गयी है और न ही उसके पास से चोरी का कोई सामान ही बरामद हुआ है। वादी मुकदमा द्वारा दर्ज कराई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किया जाना अंकित किया गया है। अभियुक्त के पास से दर्शायी गयी बरामदगी का कोई भी चश्मदीद स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज कराई गयी है, जिस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 04.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से प्रस्तुत प्रकरण से

संबंधित किसी माल की बरामदगी नहीं हुई है। सहअभियुक्त की जमानत पूर्व मे न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त का मामला सहअभियुक्त से अलग नही है। अभियुक्त न्यायालय में उचित जमानत प्रतिभू प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। अतः निवेदन है कि अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाये।

3– उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा आक्षेपित घटना की तिथि पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर ग्राम मरहना के बाहर बनी सरकारी पानी की टंकी पर रखे दो बैट्रा व एक इन्वर्टर की चोरी की गयी है, जिससे संबंधित बैट्रा की बरामदगी थाना अकबरपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्त को मु०अ०सं० 238/26 में गिरफ्तार करते समय की गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त जमानत प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

4– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक लोक अभियोजक की बहस को सुना व प्रकरण से संबंधित मु०अ०सं० 100/2026 अन्तर्गत धारा 303(2),317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना डेरापुर ,कानपुर देहात की केस डायरी, रिमाण्ड प्रपत्र तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

5– प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा थाना डेरापुर,कानपुर देहात में दिनांक 03.06.26 की तिथि पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी कि वह अपने गांव में बाहर बनी सरकारी पानी की टंकी पर चौकीदारी करता है। दिनांक 14.04.26 को समय करीब रात्रि 1.30 बजे गांव के बाहर बनी सरकारी पानी की टंकी पर रखे, दो बैट्रा व एक इन्वर्टर को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है।

6– पत्रावली पर थाना डेरापुर से प्राप्त प्रकरण से संबंधित केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 03.06.26 की रात्रि में थाना अकबरपुर पर तैनात उपनिरीक्षक रामकिशन वर्मा को मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि दिनांक 30.05.26 की तिथि पर उनके थाना क्षेत्र में कारित हुई लूट की घटना से संबंधित बदमाश रात्रि में किसी समय जगजीवनपुर बम्बा होते हुए हाइवे की तरफ ईको गाड़ियों से आने वाले है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर उपनिरीक्षक द्वारा थाना अकबरपुर के अन्य पुलिस अधिकारीगण के साथ मिलकर जगजीवनपुर बम्बा सड़क पर आने जाने वाले वाहनो की सघनता से चेकिंग की गई तो देर रात्रि के समय दो ईको गाड़ियों को पुलिस द्वारा जांच हेतु रोके जाने पर, उक्त वाहनों पर सवार पांच व्यक्तियों में से तीन के पास से अवैध आयुध की बरामदगी की गई तथा गाड़ियों की तलाशी करने पर उनमें से कुल 18 अदद बैट्री व 9 इन्वर्टर की बरामदगी की गई। वाहनों पर सवार व्यक्तियो द्वारा किसी भी बैट्रा अथवा इन्वर्टर से संबंधित कोई प्रपत्र प्रस्तुत न कर पाने पर उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। केस डायरी में विवेचक द्वारा किता किये गये फर्द बरामदगी प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में पानी की टंकी से चोरी किये गये दोनो बैट्रा भी पुलिस द्वारा उपरोक्त कार्यवाही में गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद किये गये थे। फर्द बरामदगी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त को भी पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया था, जो ईको कार सं० UP 77 AQ 6209 पर ड्राइवर की सीट पर बैठा था,

जिसकी जामा तलाशी में पैंट की बाई फेट मे खुरसा हुआ एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व दाहिनी जेब से दो अदद जिंदा कारतूस तथा एक अदद मोबाइल फोन पुलिस द्वारा बरामद किया था। आवेदक/अभियुक्त जिस वाहन पर सवार था, उस वाहन में से पुलिस द्वारा 8 अदद इन्वर्टर बैट्रियों व चार अदद इन्वर्टर बरामद किये गये थे।

7– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त के पास से दर्शायी गई बरामदगी पूर्णतः फर्जी है तथा पुलिस द्वारा उसे अन्यत्र स्थान से हिरासत में लेते हुए आक्षेपित घटना में उसकी संलिप्तता दर्शा दी गई है। इसके विपरीत सहायक लोक अभियोजक का कथन है कि अभियुक्त के पास से बरामदशुदा प्रकरण से संबंधित बैट्री पर अंकित सीरियल संख्या, उस विवरण से पूर्णतः मेल खाता है, जो वादी मुकदमा द्वारा विवेचक को बयान देते हुए नोट कराई गयी थी व जिससे संबंधित उसके द्वारा क्रय की रसीदे उपलब्ध कराई गयी थी। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता की अभियुक्त को प्रकरण में फर्जी तौर पर फंसाया गया है।

8– प्रस्तुत प्रकरण में इस स्तर तक की गयी विवेचनात्मक कार्यवाही से संबंधित केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आक्षेपित चोरी की घटना दिनांकित 14.04.26 का कोई चक्षुदर्शी साक्षी होना नहीं बताया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में आक्षेपित घटना के लगभग 50 दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है, जिस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रस्तर सं० 8 में अंकित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में थाना अकबरपुर की पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त के पास से की गयी कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी होना नहीं बताया गया है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दि० 04.06.26 की तिथि से जिला कारागार में निरुद्ध है। पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के समय खुलासा किये गये आपराधिक मामलों से इतर, अभियुक्त का कोई अन्य आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। अभियुक्त पर आक्षेपित अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है।

9– ऐसे में उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, बिना मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत दिए, यह न्यायालय अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु पर्याप्त आधार पाती है। तदनुसार निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

10– अभियुक्त गौरव सिंह उर्फ भानू प्रताप पुत्र महेन्द्र सिंह द्वारा मुकदमा अपराध सं.100/2026 अं०धारा–303(2),317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना डेरापुर, कानपुर देहात के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं० 1507/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/–(पचास हजार रूपये) धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू, विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

<u>दि.– 09.07.2026</u>

(पीयूष तिवारी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.14,
(बलात्संग एवं पॉक्सो एक्ट), कानपुर देहात।

Digitally signed by PIYUSH TIWARI
Date: 2026.07.10 13:17:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court